श्री कृष्ण कान्त मिश्रा, दीवानी न्यायाधीश द्वितीय, रांची

विविध दीवानी आवेदन संख्या I–987 / 2023

विविध दीवानी आवेदन संख्या 268 / 2023

(व्युत्पन्न मूल वाद संख्या 138 / 2021)

Schelule XLII – High Court (J) 9a [Old (M) 164.]

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office notice taken with date
1	2	3	4
	03.04.2023	**संजय कुमार सुबर्णो ———————— वादी** **बनाम** **सुचिता दानी टोप्पा व अन्य ———————— प्रतिवादीगण** वादी की ओर से पैरवी की गयी। अभिलेख आज वादी की ओर से संस्थित आवेदन दिनांकित 15.12.2022 अंतर्गत आदेश 22, नियम–4 दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 पर वादी को सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादी संख्या–2 संदीप सुबर्णो की मृत्यु दिनांक 15.07.2021 को हुई है, जिसकी जानकारी उसे ग्रामीणों द्वारा जानकारी हुई है तब उक्त आवेदन संस्थित किया है। वह अपने पीछे 1. विधवा पत्नी आभा संगीता बड़ाईक पत्नी स्वर्गीय संदीप सुबर्णो, निवासी–ग्राम–जोरार तेतरी टोली, थाना–नामकुम, जिला–रॉची, झारखण्ड को विधिक उत्तराधिकारियों के रूप में छोड़ गये है। जैसे ही जानकारी हुई, तो उक्त प्रतिस्थापन आवेदन संस्थित किया गया है। अतः न्याय हित में मृतक प्रतिवादी संख्या–2 स्वर्गीय संदीप सुबर्णो के विधिक उत्तराधिकारियों को वाद पत्र में प्रतिस्थापित किया जाय। वादी को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि मृतक प्रतिवादी संख्या–2 स्वर्गीय संदीप सुबर्णो की मृत्यु 15.07.2021 को हो गयी है। उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्पित है। प्रतिवादी संख्या–2 संदीप सुबर्णो का नाम वाद पत्र से विलोपित किया जाय। आवेदक की ओर से पृथक से संस्थित आवेदन अंतर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम में उक्त प्रतिस्थापन आवेदन संस्थित करने में केस की जानकारी नहीं होने का स्पष्ट किया गया है। आवेदक ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी ओर से जानबुझकर आवेदन संस्थित करने में विलम्ब नहीं किया गया है। अतः न्याय हित में मृतक वादी संदीप सुबर्णो के विधिक	

श्री कृष्ण कान्त मिश्रा, दीवानी न्यायाधीश द्वितीय, रांची

विविध दीवानी आवेदन संख्या I–987 / 2023

विविध दीवानी आवेदन संख्या 268 / 2023

(व्युत्पन्न मूल वाद संख्या 138 / 2021)

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office notice taken with dat
	लगातार 03.04.2023	उत्तराधिकारियों को वाद पत्र में प्रतिस्थापित किया जाय। वादी को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि मृतक प्रतिवादी संख्या–2 स्वर्गीय संदीप सुबर्णों की मृत्यु 15.07.2021 को हो गयी है। अतः न्याय हित में वादी के आवेदन को स्वीकृत करते हुए मृतक प्रतिवादी स्वर्गीय संदीप सुबर्णों, का नाम वाद पत्र से विलोपित करते हुए उनके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। वादी, वाद पत्र में 07 दिनों के अंदर प्रतिस्थापित प्रतिवादी का नाम अंकित करें तथा प्रतिस्थापित प्रतिवादियों की उपस्थिति हेतु नोटिस की कार्रवाई करें। तत्पश्चात् कार्यालय निर्गत करें। तद्नुसार विविध दीवानी आवेदन संख्या 987 / 2022 निस्तारित किया जाता है। आवेदकगण / वादीगण की ओर से एक दूसरा आवेदन दिनांकित 16.03.2023 आदेश–1 नियम–10 सपठित धारा–151 दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 पर आवेदक को सुने जाने के पश्चात् आज आदेश पारित किया जाता है। वादीगण / आवेदकगण द्वारा आवेदन दिनांकित 16.03.2023 अंतर्गत आदेश–1, नियम–10 सपठित धारा–151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में वादी का कथन है कि उक्त वाद विक्रय विलेख को रद्द करने हेतु लाया गया है तथा वाद प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु नियत है। कार्यालय टिप्पणी के अनुसार इस वाद में उभय पक्ष अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तथा जहॉ स्वत्व एवं कब्जा की घोषणा हेतु वाद लाया जाता है, वहां उपायुक्त, रांची एक आवश्यक पक्षकार होते है। इस वाद में उपायुक्त, रांची को प्रतिवादी के रूप में प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। इसलिए उपायुक्त, रांची को प्रतिवादी के रूप में वाद पत्र में जोड़ा जाय। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद में वादी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है।	

श्री कृष्ण कान्त मिश्रा, दीवानी न्यायाधीश द्वितीय, रांची

विविध दीवानी आवेदन संख्या I–987 / 2023

विविध दीवानी आवेदन संख्या 268 / 2023

(व्युत्पन्न मूल वाद संख्या 138 / 2021)

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office notice taken with dat
	लगातार 03.04.2023	छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 में यह उपबंधित है कि किसी वाद में एक भी पक्षकार अनुसूचित जनजाति के सदस्य होते हैं, वहां उपायुक्त, एक आवश्यक पक्षकार होते है। वादी का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। अतः न्याय हित में वादीगण / आवेदकगण द्वारा संस्थित विविध दीवानी आवेदन संख्या 268 / 2023 को स्वीकृत करते हुए वादी को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित समय सीमा 07 दिन के अंदर वाद पत्र में प्रतिवादी के रूप में उपायुक्त, रांची को पक्षकार के रूप में वाद पत्र के प्रथम पृष्ठ पर अंकित करें। तद्नुसार विविध दीवानी आवेदन संख्या– 268 / 2023 को निस्तारित किया जाता है। वाद दिनांक 17.04.2023 को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाय। लेखापित **ह0 / –** (कृष्ण कान्त मिश्र) दीवानी न्यायाधीश (वरीय कोटि) प्रथम, रांची। जे0 ओ0 कोड सं0–जे.एच. 00576	